## मॉड्यूल 4: किशोर न्याय बोर्ड

### सत्र 1: संरचना और गठन

अवधि: 3:44 मिनट

जैसा कि अब हम किशोर न्याय बोर्ड के संयोजन के बारे में स्पष्ट रूप से जान चुके हैं, आईए अब देखें कि बोर्ड से संबंधित प्रक्रियाएं क्या है? ये प्रक्रियाएं किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 7 से निर्देशित हैं।

- जैसा कि विदित है बोर्ड अपनी बैठकें और कार्य नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सभी प्रक्रियाएं बाल अनुकूल हों और स्थान भय उत्पन्न करने वाला और नियमित न्यायालय की तरह दिखने वाला न हो।
- जब बोर्ड की बैठकें न हो रही हों तो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को किसी एक सदस्य के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
- बोर्ड किसी सदस्य की अनुपस्थिति में भी कार्य कर सकता है और कार्यवाही के दौरान जारी किया गया कोई भी आदेश केवल इस वजह से अमान्य नहीं किया जा सकता कि मामले की कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी सदस्य की उपस्थिति नहीं थी, बशर्ते कि मामले में अंतिम निर्णय के समय या धारा 18 उपधारा (3) के तहत निर्णय के समय न्यूनतम दो सदस्य उपस्थित हों जिसमें प्रधान मजिस्ट्रेट शामिल हो।
- अंतरिम या अंतिम निर्णय के समय यदि बोर्ड के सदस्यों में मतभेद है तो बहुमत का निर्णय मान्य होगा, जहां इस तरह का बहुमत नहीं है तो प्रधान मजिस्ट्रेट का निर्णय मान्य होगा।

**आईए अब बोर्ड की बैठके जो किशोर न्याय केन्द्रीय मॉडल नियम, 2016 के नियम द्वारा निर्देशित हैं, उनके बारे में जानें**

**बोर्ड–**

- अपनी कार्यवाही वाली बैठकें, पर्यवेक्षण गृह के परिसर में या पर्यवेक्षण गृह के समीप या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख करने वाले संस्थान में करेगा। किसी भी स्थिति में यह न्यायालय या कारावास के परिसर में नहीं की जाएगी।
- जब मुकदमा चल रहा हो तो यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति कमरे में न रहे जो केस से जुड़ा न हो।
- यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यवाही के दौरान केवल उन्हीं व्यक्तियों को वहां रहने दिया जाए जिनकी उपस्थिति में बच्चा सहजता महसूस करता है।
- अपनी कार्यवाही वाली बैठकें एक बाल मित्रवत् परिसर में चलानी चाहिए जो किसी भी तरीके से न्यायालय की तरह नहीं दिखना चाहिए और बैठने की व्यवस्था इस तरह रखनी चाहिए कि बोर्ड के सदस्य बच्चे से आमने–सामने होकर बात कर सकें।

- बाल मित्रवत् तरीकों का इस्तेमाल करेगी और बच्चे से बातचीत करते समय बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हावभाव, नेत्र–सम्पर्क, आवाज का उतार–चढ़ाव तथा स्वर की प्रबलता आदि के संबंध में बाल मित्रवत् दृष्टिकोण अपनायेगी।
- ऊंचे मंच पर नहीं बैठेगा और बच्चों तथा बोर्ड के बीच में कोई बाधा जैसे गवाहों के लिए लगाए जाने वाले कटघरे या सलाखें आदि नहीं होंगे।